सत्यमेव जयते

न्यायालय

सहायक कलक्टर / उपखण्ड अधिकारी

गुढामालानी

(पीठासीन अधिकारी —केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्याः— 2024 / 517 दर्ज तिथिः—21.11.2024

1. मां गादेश्वरी गौशाला संस्थान ग्राम पंचायत रोली जरिये अध्यक्ष श्री पूरणसिंह पुत्र तुलछसिंह, जातियान पुरोहित, साकिनियत देवाणी भोमाणी कुम्हारो की ढाणी, ग्राम पंचायत रोली, तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

.....वादी

बनाम

1. आसुराम पुत्र पूनमाराम
2. करनाराम पुत्र पूनमाराम
3. खेताराम पुत्र पूनमाराम
4. गंगाराम पुत्र पूनमाराम
5. भगाराम पुत्र पूनमाराम
6. मोहन पुत्र पूनमाराम
7. कुंभाराम पुत्र ईसराराम
8. भींयाराम पुत्र ईसराराम
9. मोहनराम पुत्र ईसराराम
10. पारूदेवी पत्नी ईसराराम
11. घमंडाराम पुत्र पेमाराम
12. तुलछाराम पुत्र पेमाराम
13. धूड़ाराम पुत्र पेमाराम
14. मेघाराम पुत्र पेमाराम
15. चिमाराम पुत्र मंगनाराम
    जाति कुम्हार (प्रजापति) साकिन देवाणी भोमाणी कुम्हारों की ढाणी, ग्राम पंचायत रोली, तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर।
16. पूनमाराम पुत्र तुलछाराम
    जाति पुरोहित साकिन देवाणी भोमाणी कुम्हारों की ढाणी, ग्राम पंचायत रोली, तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर।

.....असल प्रतिवादीगण

17. शाखा प्रबंधक एस0बी0आई0 शाखा गुड़ामालानी
18. तहसीलदार गुढामालानी एवं उपपंजीयक गुड़ामालानी

.....तकमीली प्रतिवादीगण

उपस्थित अधिवक्ता
वादीः— श्री चिमनसिंह चौधरी
प्रतिवादीगणः— श्री डालुराम चौधरी

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा— 53,188
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955

—:निर्णयः—

निर्णय तिथिः—25.05.2026

1. आज यह पत्रावली वाद पत्र अन्तर्गत धारा—88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 का बाबत खसरा संख्या 176 रकबा 9.3482 है0, 176 / 2 रकबा 18. 7045 है0 मौजा देवाणी भोमाणी कुम्हारों की ढाणी, पटवार हल्का बांटा तहसील गुड़ामालानी का तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा वास्ते निर्णय किये जाने पेश हुआ है। तत्पश्चात् उभयपक्षकारान अधिवक्ता की बहस पर दिनांक 13.05.2025 को प्रारम्भिक निर्णय व पर्चा डिक्री जारी किया गया। जिस पर भू—धारक तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा अपने पत्रांक / कोर्ट / आर.ए. / 2025 / 1607 दिनांक 28.10.2025 द्वारा विभाजन प्रस्ताव / कुर्रेजात रिपोर्ट प्रस्तुत किया। प्रकरण में अभिभाषक उभयपक्षकारान की बहस सुनी गई। दौरान—ए—बहस अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 7 से 13 व 15 द्वारा विभाजन प्रस्ताव पर आपत्ति करते हुए निवेदन किया कि विभाजन प्रस्ताव प्राथमिक डिक्री से इतर जाकर बनाया गया है जिसे पुनः मंगवाया जावे। तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा अपने पत्रांक / कोर्ट / आर.ए. / 2025 / 1607 दिनांक 28.10.2025 के द्वारा राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मंडल) नियम—1955 के नियम—18 लगायत 21 के अनुसार मौका कुर्रेजात रिपोर्ट को तैयार करने की प्रक्रिया का विवरण निम्न प्रकार हैः—

प्रक्रिया हेतु प्रावधान	अपनायी गई प्रक्रिया
21. Preparation of map and demarcation of sub-divided fields. *- The Tehsildar shall prepare and place on record map showing in different colours the plots given to each party, and if any field has been sub-divided, he shall demarcate the portion at the expense of the parties.*	प्रकरण में दिनांक 01.10.2025 को तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा मय पटवारी / गिरदावर स्वयं मौका निरीक्षण किया जाकर मौका रिपॉर्ट तैयार की गई।
प्रकरण में पक्षकारो को मौका निरीक्षण हेतु जरिये नोटिस मौका निरीक्षण की दिनांक के बारे में पूर्वसूचित किया जाकर मौका रिपॉर्ट तैयार की गई।	1. प्रकरण में समस्त वादीगण को मौका निरीक्षण हेतु कार्यालय तहसीलदार तहसील गुड़ामालानी के नोटिस क्रमांक 2375—2391 दिनांक 17.09.2025 द्वारा मौका निरीक्षण की दिनांक 01.10.2025 के बारे में पूर्वसूचित किया जाकर मौका रिपॉर्ट तैयार की गई। 2. प्रकरण में समस्त प्रतिवादीगण को मौका निरीक्षण हेतु कार्यालय तहसीलदार तहसील गुड़ामालानी के नोटिस क्रमांक 2375—2391 दिनांक 17.09.2025 द्वारा मौका निरीक्षण की दिनांक 01.10.2025 के बारे में पूर्वसूचित किया जाकर मौका रिपॉर्ट तैयार की गई।

2. प्रकरण में प्रतिवादीगण की आपत्ति को आंशिक स्वीकार करते हुए पीठासीन अधिकारी स्वयं द्वारा वादग्रस्त आराजी का मौका निरीक्षण किया गया। मौके पर उभय पक्षकारान की उपस्थिति में पुनः कुर्रेजात रिपोर्ट मय नजरी नक्शा बनाया गया। जो निम्न प्रकार है—

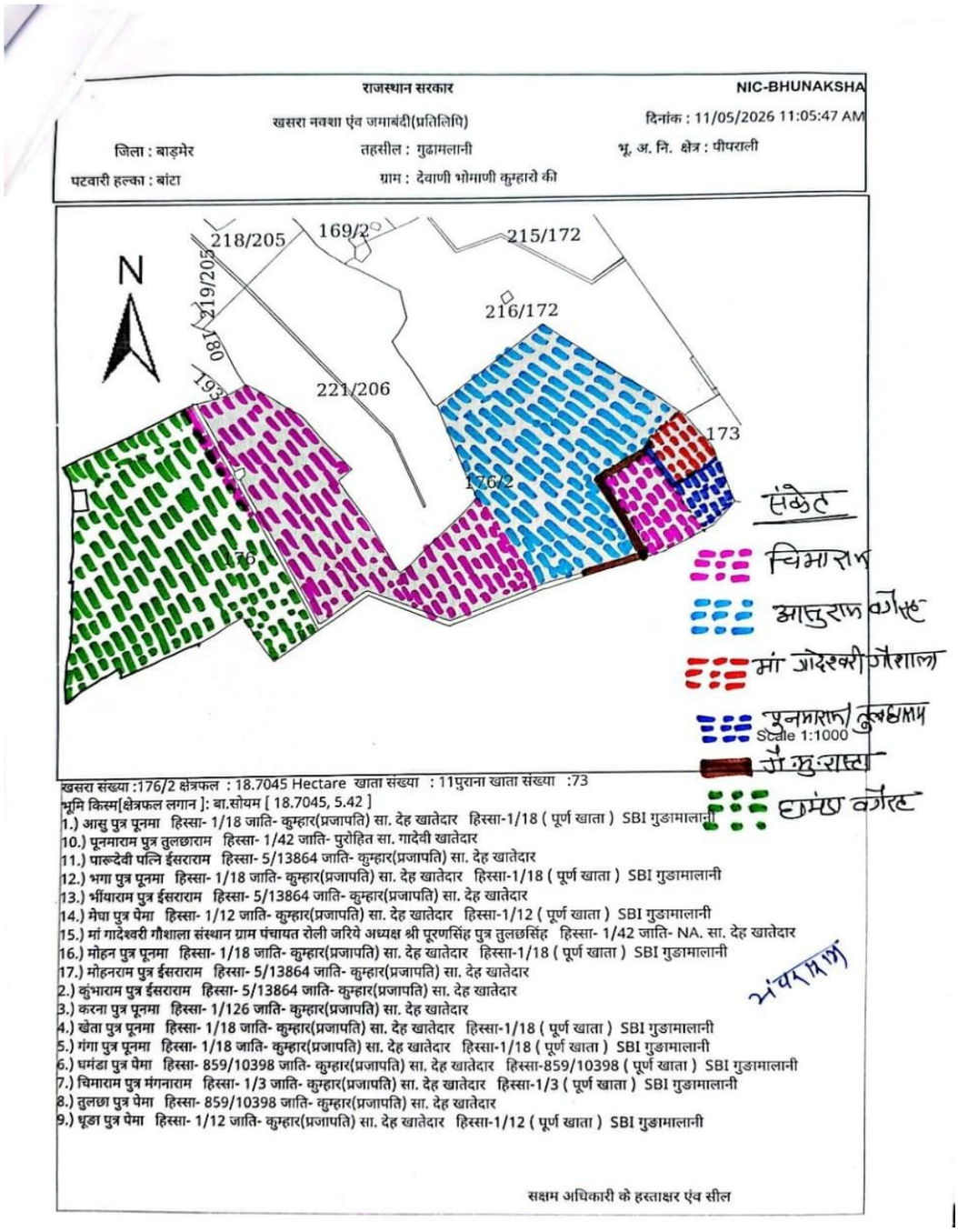

3. प्रकरण में उक्त नजरी नक्शे पर उभय पक्षकारान द्वारा सहमति प्रदान की गई तथा प्रकरण में अंतिस सुनी गई। बहस पर मनन किया एवं संलग्न दस्तावेजात् जमाबंदी संवत् 2073—2076 तथा कुर्रेजात रिपोर्ट का ध्यानपर्वूक अवलोकन किया। बाद अवलोकन पाया गया कि वादीगण एवं असल प्रतिवादीगण हाल आराजी खसरा संख्या

176 रकबा 9.3482 है0, 176 / 2 रकबा 18.7045 है0 मौजा देवाणी भोमाणी कुम्हारों की ढाणी, पटवार हल्का बांटा तहसील गुड़ामालानी के संयुक्त खातेदार है। उक्त वर्णित संयुक्त आराजी वादी एवं असल प्रतिवादीगण की शामलाती कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। जिस संयुक्त आराजी में वादीगण तथा असल प्रतिवादीगण का हिस्सा दर्ज रिकॉर्ड होना प्रमाणित होता है। उक्त विवादित आराजीयात अविभाजित है एवं राजस्व रिकॉर्ड में पक्षकारान के मध्य विधिक तकासमा नहीं हुआ है। अतः पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत सहमति प्रस्ताव एवं पक्षकार की कुर्रेजात रिपोर्ट पर सहमति को ध्यान में रखते हुए पक्षकारान के मध्य उक्त विवादित आराजीयात् का विधिक तकासमा किया जाना आवश्यक है।

4. प्रकरण में उक्त विभाजन प्रस्ताव प्राथमिक डिक्री के अनुसार प्रेषित नहीं किया गया है। प्रकरण में इस कारण पीठासीन अधिकारी द्वारा उभयपक्षकारान की उपस्थिति में मौका निरीक्षण किया गया। वक्त मौका निरीक्षण संशोधित प्रस्ताव तैयार किया गया। असल में मुतनाजा आराजी तीन वृहद् पारिवारिक ईकाईयों की संयुक्त खातेदारी आराजी है। उक्त तीन वृहद् पारिवारिक ईकाईयों में विरासत से अनेक सहखातेदार हो गये हैं। उक्त तीन वृहद् पारिवारिक ईकाईयों में से एक पारिवारिक ईकाई के सदस्य एक सहखातेदार द्वारा गौशाला के लिये जमीन का बेचान किया गया। इस कारण प्रकरण में संशोधित प्रस्ताव पर अंतिम बहस के समय उभयपक्षकारान से समझाईश की गई। उक्त समझाईश में मुतनाजा आराजी का तीन वृहद् पारिवारिक ईकाईयों के अनुसार विभाजन किया जाना प्रस्तावित किया गया। अर्थात्त प्राथमिक डिक्री में चाहे गये अनुतोष में आंशिक संशोधन करते हुए प्रथम स्तर पर मुतनाजा आराजी का तीन वृहद् पारिवारिक ईकाईयों का पृथक—पृथक ईकाई अनुसार विभाजन किया जाना प्रस्तावित किया गया। तत्पश्चात् प्रथम स्तर पर मुतनाजा आराजी का तीन वृहद् पारिवारिक ईकाईयों के अनुसार विभाजन करने के उपरांत मुतनाजा आराजी का तीन पृथक—पृथक पारिवारिक ईकाई के अनुसार खाता कायम किया जाना तय किया गया। तत्पश्चात् द्वितीय स्तर पर पृथक पारिवारिक ईकाई के पृथक खाते के अंतर्गत समाहित सहखातेदारों का भविष्य में खाता अलग करना प्रस्तावित किया गया। उक्त प्रस्ताव पर उभयपक्षकारान द्वारा सहमति प्रदान की गई। उक्त सहमति के अनुसार संशोधित विभाजन प्रस्ताव तैयार किया गया। अतः दावा वादीगण मुताबिक पीठासीन अधिकारी की उपस्थिति में उक्त सहमति अनुसार तैयार किये गये विभाजन—प्रस्ताव (कुर्रेजात रिपोर्ट) मय नक्शा—ट्रेस अनुसार डिक्री किया जाना न्यायोचित है।

5. प्रकरण में वादी द्वारा तकसीम आराजी के साथ—साथ स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष का भी जिक्र किया गया। प्रकरण में वादी के अनुतोष के विवेचन हेतु तथ्यों का गहन विश्लेषण से पूर्व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा—188 का उद्धरण यहॉ प्रतीत होता है। जो कि निम्न प्रकार हैः—

> ***188. Injunction against wrongful ejectment—***
> *(1) Any tenant whose right to or enjoyment of the whole or a part of his holding is invaded or threatened to be invaded by his landholder or any other person may bring a suit for the grant of a perpetual injunction.*
> *(2) The court may after making the necessary enquiry grant a perpetual injunction in the following cases, namely-*

(a) if there exist no standard for ascertaining the actual damage caused or likely to be caused by the invasion;
(b) if the invasion is such that pecuniary compensation does not afford adequate relief;
(c) where it is probable that pecuniary compensation cannot be got for the invasion.
(d) where the injunction is necessary to prevent a multiplicity of proceedings.

6. उक्त राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा—188 के अवलोकन से स्पष्ट है कि धारा—188 के अन्तर्गत किसी खातेदारी आराजी पर खातेदारी अधिकारो की आमदरफत में किसी प्रकार का व्यवधान / अतिक्रमण किया जा रहा हो / किया जाने वाला हो उस स्थिति में व्यवधान उत्पन्न / अतिक्रमण करने वाले व्यक्ति को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किए जाने के प्रावधान बनाए गए है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा—188 की उपधारा—2 में स्थाई निषेधाज्ञा जारी किए जाने हेतु निम्न चार परिस्थितियां बताई गई हैः—

परिस्थिति	विवरण
1.	जब हो रहे / होने वाले संभावित अतिक्रमण / व्यवधान / घुसपैठ से होने वाले नुकसान के आंकलन हेतु कोई मानक / मापदण्ड अस्तित्व में नहीं हो।
2.	जब अतिक्रमण / व्यवधान / घुसपैठ इस प्रकार का हो कि नुकसान की आर्थिक भरपाई / क्षतिपूर्ति पर्याप्त राहत / संतुष्टि प्रदान नहीं करता हो।
3.	जब इस तथ्य की संभावना हो कि अतिक्रमण / व्यवधान / घुसपैठ से होने वाले नुकसान की आर्थिक भरपाई / क्षतिपूर्ति की प्रदानगी संभव नहीं होगी।
4.	जब निषेधाज्ञा राजस्व विवादों की बहुलता को रोकने हेतु आवश्यक हो।

7. इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रकरण में पत्रावली के अवलोकन के अनुसार स्पष्ट है कि प्रकरण में वादीगण व प्रतिवादीगण की आराजी का विभाजन किया जाना प्रस्तावित है। उक्त विभाजन के पश्चात वादीगण व प्रतिवादीगण का पृथक—पृथक खाता कायम किया जाना प्रस्तावित है। साथ ही हाल में संयुक्त आराजी का रिकॉर्ड में पृथक अंकन किया जाकर मौके पर उसी अनुसार कब्जा भी पृथक से सुपुर्द किया जाना प्रस्तावित है। इस प्रकार वादीगण व प्रतिवादीगण खाता विभाजन के पश्चात रिकॉर्ड में व मौके पर पृथक—पृथक रूप से अपनी खातेदारी आराजी पर खातेदारी अधिकारों का उपयोग—उपभोग बिना किसी बाधा के करने हेतु अधिकृत व स्वतंत्र है। इस प्रकार वादीगण व प्रतिवादीगण खाता विभाजन के पश्चात रिकॉर्ड में व मौके पर पृथक—पृथक रूप से अपनी खातेदारी आराजी पर खातेदारी अधिकारों का उपयोग—उपभोग बिना किसी बाधा के करने में आपस में किसी प्रकार का अवरोध खातेदारी अधिकारों पर नकारात्मक प्रभाव उत्पन्न कर सकता है। इस आधार पर वादीगण व प्रतिवादीगण खाता विभाजन के पश्चात रिकॉर्ड में व मौके पर पृथक—पृथक रूप से अपनी खातेदारी आराजी पर खातेदारी अधिकारों का उपयोग—उपभोग बिना किसी बाधा के करने में आपस में किसी प्रकार का अवरोध उत्पन्न नहीं करने हेतु स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना उचित प्रतीत होता हैं।

8. अतः हाल सह काश्तकार बाद तकसीम अपने पृथक—पृथक संबंधित खाते में दर्ज खातेदारी आराजी के अलावा अन्य खातेदारी आराजी पर बेदखल करने का प्रयास नहीं करने एवं आमद रफत में मजाहमत उत्पन्न नहीं करने बाबत स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना उचित है। अतः

आदेश है कि

दावा वादीगण अन्तर्गत धारा—53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 बाबत तकसीम आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है एवं हाल आराजी खसरा संख्या 176 रकबा 9.3482 है0, 176/2 रकबा 18.7045 है0 मौजा देवाणी भोमाणी कुम्हारों की ढाणी, पटवार हल्का बांटा तहसील गुड़ामालानी का मुताबिक सहमति के अनुसार संशोधित विभाजन प्रस्ताव एवं नजरी नक्शा तथा नीचे अंकित तालिकानुसार दावा वाद डिक्री किया जाता है। पक्षकारान के मध्य राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता कायम करते हुए अलग—अलग खाता प्रविष्टिया दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार गुड़ामालानी को दिये जाते हैं।

खातेदार	हिस्सा	ग्राम	खसरा	रकबा	किस्म
मां गादेश्वरी गौशाला संस्थान ग्राम पंचायत रोली जरिये अध्यक्ष श्री पूरणसिंह पुत्र तुलछसिंह सा0 देह खातेदार	पूर्ण	देवाणी भोमाणी कुम्हारों की ढाणी	176 / 2	0.6641	बा0सो0
कुल किता 01 रकबा 0.6641 है0					
पूनमाराम पुत्र तुलछाराम जाति पुरोहित सा0 गादेवी खातेदार	पूर्ण	देवाणी भोमाणी कुम्हारों की ढाणी	176 / 2	0.6640	बा0सो0
कुल किता 01 रकबा 0.6640 है0					
घमण्डा पुत्र पेमा	23040 / 92968	देवाणी भोमाणी कुम्हारों की ढाणी	176	9.2968	बा0सो0
तुलछा पुत्र पेमा	23040 / 92968				
मेघा पुत्र पेमा	23242 / 92968				
धूड़ा पुत्र पेमा	23242 / 92968				
जाति कुम्हार (प्रजापति) सा0 देह खातेदार राहिन घमण्डा, मेघा, धुड़ा एसबीआई शाखा पूर्ण खाता गुड़ामालानी					
कुम्भाराम पुत्र ईसराराम	101 / 92968				
भींयाराम पुत्र ईसराराम	101 / 92968				
मोहनराम पुत्र ईसराराम	101 / 92968				
पारूदेवी पत्नी ईसराराम	101 / 92968				

जाति कुम्हार (प्रजापति) सा देह खातेदार					
कुल किता 01 रकबा 9.2968 है0					
आसु पुत्र पुनमा	15494 / 79685	देवाणी भोमाणी कुम्हारों की ढाणी	176	7.9685	बा0सो0
करना पुत्र पुनमा	2215 / 79685				
खेता पुत्र पुनमा	15494 / 79685				
गंगा पुत्र पुनमा	15494 / 79685				
भगा पुत्र पुनमा	15494 / 79685				
मोहन पुत्र पुनमा	15494 / 79685				
जाति कुम्हार (प्रजापति) सा0 देह खातेदार राहिन आसू, खेता, गंगा, भगा, मोहन एसबीआई गुड़ामालानी					
कुल किता 01 रकबा 7.9685 है0					
चिमाराम पुत्र मगनाराम जाति कुम्हार(प्रजापति) सा0 देह खातेदार राहिन एसबीआई शाखा गुड़ामालानी	पूर्ण	देवाणी भोमाणी कुम्हारों की ढाणी	176 / 2 176 / 2 176	8.0000 1.2452 0.0514	बा0सो0 बा0सो0 बा0सो0
कुल किता 01 रकबा 9.2966 है0					
गै.मु. रास्ते हेतु	पूर्ण	देवाणी भोमाणी कुम्हारों की ढाणी	176 / 2	0.1627	गै0मु0 रास्ता
कुल किता 01 रकबा 0.1627 है0					

उक्तानुसार पक्षकारान अपने—अपने हिस्से की खातेदारी आराजी को अपने नाम खातेदारी में पृथक—पृथक खाता दर्ज कराने के अधिकारी है तथा असल प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादी के उपरोक्त दर्ज पृथक खाता आराजी पर जबरन कब्जा व बेदखली न करे, ना ही किसी प्रकार के कब्जे काश्त में रूकावट व मजाहमत पैदा करें तथा शक्ल मौका आराजी ना बदले।

उभयपक्षकारान की सहमति के अनुसार संशोधित विभाजन प्रस्ताव एवं नजरी नक्शा निर्णय का अनन्य भाग रहेगा। इसी अनुसार पृथक से पर्चा डिक्री तैयार की जाकर तहसीलदार गुड़ामालानी को पालनार्थ हेतु भिजवाई जावे। अहकाम जारी हो। पक्षकारान खर्चा अपना—अपना वहन करेगें।

यह निर्णय आज दिनांक 25.05.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर एवं मुहर युक्त जारी किया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुढामालानी

सत्यमेव जयते

न्यायालय

सहायक कलक्टर / उपखण्ड अधिकारी

गुढामालानी

(पीठासीन अधिकारी —केषव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्याः— 2024 / 517 दर्ज तिथिः—21.11.2024

1. मां गादेश्वरी गौशाला संस्थान ग्राम पंचायत रोली जरिये अध्यक्ष श्री पूरणसिंह पुत्र तुलछसिंह, जातियान पुरोहित, साकिनियत देवाणी भोमाणी कुम्हारो की ढाणी, ग्राम पंचायत रोली, तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

.....वादी

बनाम

1. आसुराम पुत्र पूनमाराम
2. करनाराम पुत्र पूनमाराम
3. खेताराम पुत्र पूनमाराम
4. गंगाराम पुत्र पूनमाराम
5. भगाराम पुत्र पूनमाराम
6. मोहन पुत्र पूनमाराम
7. कुंभाराम पुत्र ईसराराम
8. भींयाराम पुत्र ईसराराम
9. मोहनराम पुत्र ईसराराम
10. पारूदेवी पत्नी ईसराराम
11. घमंडाराम पुत्र पेमाराम
12. तुलछाराम पुत्र पेमाराम
13. धूड़ाराम पुत्र पेमाराम
14. मेघाराम पुत्र पेमाराम
15. चिमाराम पुत्र मंगनाराम
    जाति कुम्हार (प्रजापति) साकिन देवाणी भोमाणी कुम्हारों की ढाणी, ग्राम पंचायत रोली, तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर।
16. पूनमाराम पुत्र तुलछाराम
    जाति पुरोहित साकिन देवाणी भोमाणी कुम्हारों की ढाणी, ग्राम पंचायत रोली, तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर।

.....असल प्रतिवादीगण

17. शाखा प्रबंधक एस0बी0आई0 शाखा गुड़ामालानी
18. तहसीलदार गुढामालानी एवं उपपंजीयक गुड़ामालानी

.....तकमीली प्रतिवादीगण

उपस्थित अधिवक्ता
वादीः— श्री चिमनसिंह चौधरी
प्रतिवादीगणः— श्री डालुराम चौधरी

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा— 53,188
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955

—:पर्चा डिक्रीः—

दावा वादीगण अन्तर्गत धारा—53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 बाबत तकसीम आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है एवं हाल आराजी खसरा संख्या 176 रकबा 9.3482 है0, 176/2 रकबा 18.7045 है0 मौजा देवाणी भोमाणी कुम्हारों की ढाणी, पटवार हल्का बांटा तहसील गुड़ामालानी का मुताबिक सहमति के अनुसार संशोधित विभाजन प्रस्ताव एवं नजरी नक्शा तथा नीचे अंकित तालिकानुसार दावा वाद डिक्री किया जाता है। पक्षकारान के मध्य राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता कायम करते हुए अलग—अलग खाता प्रविष्टिया दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार गुड़ामालानी को दिये जाते हैं।

खातेदार	हिस्सा	ग्राम	खसरा	रकबा	किस्म
मां गादेश्वरी गौशाला संस्थान ग्राम पंचायत रोली जरिये अध्यक्ष श्री पूरणसिंह पुत्र तुलछसिंह सा0 देह खातेदार	पूर्ण	देवाणी भोमाणी कुम्हारों की ढाणी	176 / 2	0.6641	बा0सो0
कुल किता 01 रकबा 0.6641 है0					
पूनमाराम पुत्र तुलछाराम जाति पुरोहित सा0 गादेवी खातेदार	पूर्ण	देवाणी भोमाणी कुम्हारों की ढाणी	176 / 2	0.6640	बा0सो0
कुल किता 01 रकबा 0.6640 है0					
घमण्डा पुत्र पेमा	23040 / 92968	देवाणी भोमाणी कुम्हारों की ढाणी	176	9.2968	बा0सो0
तुलछा पुत्र पेमा	23040 / 92968				
मेघा पुत्र पेमा	23242 / 92968				
धूड़ा पुत्र पेमा	23242 / 92968				
जाति कुम्हार (प्रजापति) सा0 देह खातेदार राहिन घमण्डा, मेघा, धुड़ा एसबीआई शाखा पूर्ण खाता गुड़ामालानी					
कुम्भाराम पुत्र ईसराराम	101 / 92968				
भींयाराम पुत्र ईसराराम	101 / 92968				
मोहनराम पुत्र ईसराराम	101 / 92968				
पारूदेवी पत्नी ईसराराम	101 / 92968				

जाति कुम्हार (प्रजापति) सा देह खातेदार					
कुल किता 01 रकबा 9.2968 है0					
आसु पुत्र पुनमा	15494 / 79685	देवाणी भोमाणी कुम्हारों की ढाणी	176	7.9685	बा0सो0
करना पुत्र पुनमा	2215 / 79685				
खेता पुत्र पुनमा	15494 / 79685				
गंगा पुत्र पुनमा	15494 / 79685				
भगा पुत्र पुनमा	15494 / 79685				
मोहन पुत्र पुनमा	15494 / 79685				
जाति कुम्हार (प्रजापति) सा0 देह खातेदार राहिन आसू, खेता, गंगा, भगा, मोहन एसबीआई गुड़ामालानी					
कुल किता 01 रकबा 7.9685 है0					
चिमाराम पुत्र मगनाराम जाति कुम्हार(प्रजापति) सा0 देह खातेदार राहिन एसबीआई शाखा गुड़ामालानी	पूर्ण	देवाणी भोमाणी कुम्हारों की ढाणी	176 / 2 176 / 2 176	8.0000 1.2452 0.0514	बा0सो0 बा0सो0 बा0सो0
कुल किता 01 रकबा 9.2966 है0					
गै.मु. रास्ते हेतु	पूर्ण	देवाणी भोमाणी कुम्हारों की ढाणी	176 / 2	0.1627	गै0मु0 रास्ता
कुल किता 01 रकबा 0.1627 है0					

उक्तानुसार पक्षकारान अपने—अपने हिस्से की खातेदारी आराजी को अपने नाम खातेदारी में पृथक—पृथक खाता दर्ज कराने के अधिकारी है तथा असल प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादी के उपरोक्त दर्ज पृथक खाता आराजी पर जबरन कब्जा व बेदखली न करे, ना ही किसी प्रकार के कब्जे काष्त में रूकावट व मजाहमत पैदा करें तथा शक्ल मौका आराजी ना बदले।

उभयपक्षकारान की सहमति के अनुसार संशोधित विभाजन प्रस्ताव एवं नजरी नक्शा डिक्री का अनन्य भाग रहेगा। अहकाम जारी हो। पक्षकारान खर्चा अपना—अपना वहन करेगें।

यह डिक्री आज दिनांक 25.05.2026 को मेरे द्वारा लिखाई जाकर हस्ताक्षर कर एवं मुहर युक्त जारी किया जाकर खुले न्यायालय में सुनाई गई।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुढामालानी